A6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी–

श्री घनश्याम शर्मा
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
05/अपील/2022	24.01.2022	05.07.2024

1. दिलनवाज पुत्र गफ्फार मोहम्मद निवासी डी–173 इंदिरा गांधी पब्लिक स्कूल की गली इंदिरा कॉलोनी विज्ञान नगर, कोटा (राज.)।
2. शाहनवाज पुत्र गफ्फार मोहम्मद निवासी डी–173 इंदिरा गांधी पब्लिक स्कूल की गली इंदिरा कॉलोनी विज्ञान नगर, कोटा (राज.)।
3. रूबीना परवेज पत्नि अमजद खान पुत्री गफ्फार मोहम्मद निवासी डी–173 इंदिरा गांधी पब्लिक स्कूल की गली इंदिरा कॉलोनी विज्ञान नगर, कोटा (राज.)।
4. निकहत अंजु पत्नि इम्तियाज हुसैन शेख पुत्री गफ्फार मोहम्मद निवासी डी–173 इंदिरा गांधी पब्लिक स्कूल की गली इंदिरा कॉलोनी विज्ञान नगर, कोटा (राज.)।

–अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–

अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से–श्री सुरेन्द्र कुमार लाठी एड.
रेस्पोडेन्ट की ओर से–पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली के आदेश दिनांक 24.12.2021 से अप्रसन्न होकर यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा ग्राम मांगलीखुर्द भू.अभि.नि. बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा संख्या 110, 111, 112, 246/110, 247/110, 248/110, 45 एवं 45/173 की आराजी में से माता शकीला बानो की मृत्यु दिनांक 23.04.2021 के उपरान्त अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र उनके हक में फोती इंतकाल तस्दीक करने हेतु तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष पेश किया था। सेटलमेंट विभाग द्वारा अपीलान्ट के खाते की भूमि को अन्य पांच खातेदारों की भूमि में बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के सम्मिलित कर दिया तथा बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के उक्त सम्मिलित आराजी में शामिल करते हुये जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 ''जिसमें काश्तकार का नाम, पिता, जाति तथा निवास का विवरण होता हैं'' उसमे अनावरूक रूप से एक जुमला ''सरकार खातेदार'' दर्ज कर दिया।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A 6/2

यह सब सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने षडयंत्रपूर्वक राजस्व अभिलेख में हेरफेर कर दिया हैं। पूर्व में उक्त आराजी का इंतकाल मेनुवली तस्दीक किया गया हैं लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ''ई–धरती सॉफ्टवेयर'' में कॉलम संख्या 6 काश्तकार का नाम कॉलम में सरकार खातेदार का ऑप्शन नहीं होने से इंतकाल तस्दीक नहीं किया जा सका हैं तथा तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अपीलान्ट के इंतकाल आवेदन पर यह नोट अंकित किया हैं कि ''ई–धरती सॉफ्टवेयर'' में ''सरकार खातेदार'' काश्तकार का नाम कॉलम नं. 6 में किसी भी प्रकार का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता हैं। केवल ''न्यायालय आदेश'' प्रकार के द्वारा ही नाम दर्ज किया जा सकता हैं। उक्त तकनीकी बिन्दु के आधार पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा इंतकाल तस्दीक नहीं किया गया हैं जबकि मेनुवली इंतकाल तस्दीक होने में कोई पाबंदी नहीं हैं। सेटलमेंट से पर्व की जमाबन्दी में तत्कालीन खातेदार शुभराती खॉ के नाम के आगे ''सरकार खातेदार'' अंकित नहीं था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर मेनुवली इंतकाल तस्दीक किया जावे। वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1997 पेज 237 की नजीरें प्रस्तुत की।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान व्यक्त किया कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित हैं।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। दिलनवाज द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में बताया कि अपनी माता शकीला बानो का देहान्त दिनांक 23.04.2021 को हो चुका हैं जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र 23.04.2021 पत्रावली में संलग्न हैं, जिसके वारिसान दिलनवाज, शाहनवाज पिसरान गफ्फार मोहम्मद, रूबीना परवेज, निकहत अंजुम पुत्री गफ्फार मोहम्मद हैं। दिलनवाज द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में पटवारी के द्वारा यह आक्षेप लगाया गया हैं कि ई–धरती सॉफ्टवेयर में ''सरकार खातेदार'' काश्तकार का नाम कॉलम नं. 6 में किसी भी प्रकार का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता हैं। केवल न्यायालय ''आदेश प्रकार'' के द्वारा ही नामान्तरकरण दर्ज किया जा सकता हैं। जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 का अवलोकन करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि प्रत्येक खातेदार का क्षेत्रफल अलग–अलग दर्शाया गया हैं जिसका योग 70 बीघा 17 बिस्वा आता हैं परन्तु खसरा संख्या का क्षेत्रफल का योग करने से 48 बीघा 01 बिस्वा आता हैं। अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक 24.12.2021 के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गयी हैं,वह आदेश तहसीलदार हिण्डोली का ना होकर केवल पटवारी रिपोर्ट ही अंकित हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप उपरोक्त विश्लेषणानुसार अपील सारहीन पाऐ जाने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर,
बूंदी

अति. जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)